यह निरीक्षण प्रतिवेदन **आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव, श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.04.2018 से 26.04.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.11.16 से 11.11.16 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

1. क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय व नेशनल परमिट जारी करना
2. प्रदेश के अन्तर्गत संचालित समस्त सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों को मार्गदर्शन व नियन्त्रण
3. भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य।

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	440.67
2016-17	462.83
2017-18	550.53

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ हजार में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत				आयोजनेत्तर			
	स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना र	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2015-16	-	-	33900	33900	266340	219367	32579	32579
2016-17	-	-	171886	166886	332903	251310	22000	22000
2017-18	-	-	1331552	1331552	303051	278059	84000	84000

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....'A'... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त - अपर आयुक्त- सम्भागीय परिवहन अधिकारी- उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 10/2016 एवं 03/2018

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 "ख"</u>

<u>प्रस्तर-</u> 01 <u>:</u> ग्रीन-सेस की धनराशि ` 68.81 करोड़ का अवरुद्ध रहना।

उत्तराखण्ड मोटरयान सुधार अधिनियम,-की धारा 2003 4 की उपधारा-5 के अधीन देय कर के अतिरिक्त ग्रीन सेस के नाम से उपकर ऐसी दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा) -अधिरोपित एवं एकत्र किए जाने व धारा (अधिसूचित किया जाये8 के अन्तर्गत दिनाँक (क) 01.12.सेस लिए जाने का प्रावधान किया गया था। उ-से ग्रीन 2012पकर के रूप में प्राप्त राशि का प्रयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण के विधिक उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने, आदि के लिए किया जाना था।

कार्यालय आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में ग्रीनसेस संकलन पंजिका एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत वर्षों में - सेस के रूप में-विभाग को ग्रीन`6880 .:लाख की राशि प्राप्त हुई थी। विवरण निम्नवत है 56

<u>वर्ष</u>	**<u>ग्रीन सेस की धनराशि-)` लाख में(</u>**
2012-2015 से 13- 16 तक	3951.04
2016-17	1341.06
2017-18	1588.46
योग	**6880. 56**

आगे जाँच में पाया गया कि उक्त राशि वर्तमान तक लेखाशीर्ष में अवरुद्ध थी एवं इसका 0041 उपयोग इस हेतु निहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासन द्वारा दिशा04 निर्देश प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशि माह-/ तक व्यय नहीं की गयी थी। 2018

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर- 02 : ग्रीन-सेस की कम वसूली से राजस्व क्षति ` 59.70 लाख ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-5 के अधीन मोटरयान पर ग्रीन-सेस निम्न प्रकार से लिए जाने का प्रावधान है:

क्रम सं.	यान का प्रकार	उपकर की दर (` में)
1	परिवहन यान से भिन्न यान के रजिस्ट्रीकरण के समय	
	(क) मोटर साइकिल	400.00
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200.00
2	रजिस्ट्रीकरण की दिनाँक से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान से भिन्न यान के मोटर यान अधिनियम की धारा-41 की उप-धारा,10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय	
	(क) मोटर साइकिल	400.00/पाँच वर्ष
	(ख) मोटर साइकिल से भिन्न यान	1200.00/पाँच वर्ष
3	रजिस्ट्रीकरण की दिनाँक से 07 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-56 के अधीन फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय	400.00/वर्ष

कार्यालय आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में ग्रीन-सेस से संबन्धित अभिलेखों एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना की जाँच में पाया गया कि राज्य में वर्ष 2016-17 व 2017-18 में पंजीकृत वाहनों का विवरण निम्नवत था:

वर्ष	वाहन का विवरण		ग्रीन-सेस की धनराशि (रु में)
	वाहन का प्रकार	संख्या	
2016-17	मोटर साइकिल	1,69,380	1,69,380 x 400= 6,77,52,000.00
	मोटर साइकिल से भिन्न	59,363	59,363 x 1200= 7,12,35,600.00
2017-18	मोटर साइकिल	2,01,164	2,01,164 x 400 = 8,04,65,600.00
	मोटर साइकिल से भिन्न	66,222	66,222 x 1200 = 7,94,66,400.00
योग			**15,99,32,000/-**

आगे, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 में ग्रीन-सेस क्रमश: ` 1341.06 लाख एवं ` 1588.44 लाख (कुल ` 2929.50 लाख) ही प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमश: ` 48,81,600/- एवं ` 10,88,000/- (कुल ` 59,69,600/-) कम प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा ग्रीन-सेस की गणना से संबन्धित गणना-शीट उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

अतः ग्रीन-सेस ` 59,69,600/- वसूल न किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 "ख"

प्रस्तर:3 - प्रदूषण नियन्त्रण जाँच हेतु प्रभावी व्यवस्था न होने से पर्यावरणीय प्रदूषण।

शासन की अधिससूचना संख्या 1397/IX-1/302(2007)/2016 दिनाँक 16.12.द्वारा 2016 नियमावली (चतुर्थ संशोधन) प्रख्यापित उत्तराखण्ड मोटरयान,-के नियम 2016 14)4के (चार)(पत्र का फॉर्म संबन्धित एजेंसी को परिवहन आयुक्त -प्रमाण "प्रदूषण नियन्त्रण में है" अनुसार सम्भागीय कार्यालय से-उप/कार्यालय अथवा संबन्धित सम्भागीय`20 /- प्रति फॉर्म जमा कराने पर उपलब्ध कराया जाना था। दिनाँक 16.12. पत्र का मूल्य-से पूर्व उक्त प्रमाण 2016`10 /- प्रति फॉर्म निर्धारित था।

केंद्रीय मोटरयान नियमावली,1989 के अनुसार मोटर वाहन के प्रथम बार पंजीकृत किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात; ऐसे प्रत्येक वाहन को इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एक अभिकरण द्वारा जारी किया गया एक मान्य नियंत्रित प्रदूषण " माह की अवधि के लिए होगी। 06 प्राप्त करना होगा। प्रमाण पत्र की मान्यता "प्रमाण पत्र

कार्यालय आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में प्रदूषण प्रमाणपत्र फॉर्मो से संबन्धित पत्रवालियों एवं कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों - 2015 से यह तथ्य संज्ञान में आए कि वित्तीय वर्ष-2017 से 16-की अवधि में विभाग द्वारा 18 730750 कुल"प्रदूषण नियंत्रण में है "प्रमाण पत्र निर्गत किए गए जिनसे विभाग को-` 1,06,78,000/- धनराशि प्राप्त हुई थी

आगे जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-2017 से 16-की अवधि में एक वर्ष से अधिक 18 वाहन संचालित थे। इन वाहनों हेतु नियमानुसार वर्ष में दो बार प्रदूषण 6068868 पुराने कुल प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर कुल पत्र जारी किए जाने थे जबकि उक्त -प्रमाण 12137736 पत्र कम -प्रमाण 11406986 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस प्रकार 730750 अवधि में मात्र) जारी किए गए थे**अनुलग्नक-I**)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रावधानानुसार प्रदेश में संचालित वाहनों द्वारा मान्य लिए जाने हेतु कोई प्रभावी "पत्र-नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण" पत्र -व्यवस्था नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम वाहन बिना मान्य प्रदूषण प्रमाण के संचालित हो रहे थे। अतः ऐसे वाहनों द्वारा होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उपरोक्त आंकड़ों की पुष्टि की गयी। परन्तु, विभाग वर्ष 2016-पत्रों की संख्या बताने में असमर्थ -में निर्गत किए गए प्रमाण 17 रहा।

प्रकरणआवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रदुषण प्रमाण पत्रों की संख्या से संबन्धित

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	नये रजिस्ट्रीकृत वाहनों की संख्या	मार्ग पर संचालित कुल वाहनों की संख्या	मार्ग पर संचालित एक वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की संख्या	वर्ष में दो बार प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर प्रमाण पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5(4-3)	6
1	2015-16	218025	2022535	1804510	3609020
2	2016-17	227946	2247469	2019523	4039046
3	2017-18	271209	2516044	2244835	4489670
TOTAL				**6068868**	**12137736**

<u>भाग 2 "क"</u>

<u>प्रस्तर:</u>01 <u>-</u> विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में लागत वृद्धि ` 130. 75लाख व व्यय `240 . लाख के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण 00 रहना।

कार्यालय में" चालक प्रशिक्षण संस्थान झाझरा में हिल-ट्रेक का निर्माण "से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि दिनाँक 19.06.को सचिव एवं आयुक्त 2012, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के मध्य सम्पन्न बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग के अर्द्धशासकीय - 28 पत्र सं॰/PS-DW/2013 दिनाँक 21.01. 2013द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा "चालक प्रशिक्षण संस्थान झाझरा में हिल-ट्रेक का निर्माण" का प्राक्कलन जो कि`186 .लाख का था 54, शासन को डी॰पी॰आर॰ स्वीकृति व धनावंटन हेतु उपलब्ध कराया गया था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त प्रेषित आंकलन `186 . 54 34 लाख पर शासन द्वारा कोई निर्णय न लेकर अपने पत्र सं॰/ix-1/08(2013)/2014 दिनाँक 21.05.द्वारा परिवहन आयुक्त को निर्माण का आंगणन 2014 पुनः उपलब्ध किए जाने हेतु चाहा गया था। उक्त क्रम में शासनादेश सं॰34 /पग-1/08)2013/(2014 दिनाँक21 .05. 2014द्वारा हिल-ट्रेक के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस क्रम में कार्यालय के पत्र सं॰1620 /नियोजन/13-93/2014 दिनाँक27 .05. 2014व पत्र सं॰1621 /नियोजन/13-93/2014 तद्दिनांकित द्वारा क्रमश महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून तथा मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहरादून को उक्त निर्माण कार्य हेतु आंगणन प्रेषित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा पत्र सं॰788 /प्राक्कलन प्रेषण दिनाँक17 .06. 2014द्वारा `227 .लाख का आंगणन प्रस्तुत किया 21 349 जबकि इसी कार्य के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा अपने पत्र सं॰/ग्रा॰अ॰से॰-कार्य/ /तीन2014-15 दिनाँक 21.07. द्वारा 2014`26 . लाख का आंगणन प्रस्तुत किया था। 36

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया कि हिल ट्रेक के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को निर्माण इकाई के रूप में चुना गया था। इस इकाई द्वारा उक्त कार्य हेतु पुनः संशोधित आंगणन `319 .लाख दिनाँक 38 01.07.2015 को प्रस्तुत किया जिसके सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि `317 .लाख पर शासनादेश 29 सं॰ 160/ix-1/08(13)/2016 दिनाँक 04.03. द्वारा प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। 2016

आगे, अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि समय से स्वीकृति न मिलने से कार्य की लागत `186 . लाख से बढ़कर 54`317 .लाख हो गयी थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ग्रामीण 29 अभियंत्रण सेवा द्वारा प्रस्तुत`26 .लाख के आंगणन को शासन को प्रेषित न करते हुये हिल 36 ट्रेक के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को निर्माण इकाई के रूप में चुना गया एवं इस इकाई द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आंगणन `227 .लाख को 21 शासन को प्रेषित किया गया। निर्माण इकाई द्वारा पुनः टी॰ए॰सी॰ के उपरान्त`319 .लाख का 38 आंगणन प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि`317 .लाख पर शासनादेश 29 160 सं॰/ix-1/08(13)/2016 दिनाँक 04.03.द्वारा प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की 2016 गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त दोनों निर्माण इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंगणन में बहुत अधिक अंतर होने की दशा में भी विभाग द्वारा किसी अन्य निर्माण एजेन्सी से परामर्श नहीं

किया गया था। जाॅच में पाया गया कि कार्य को स्वीकृतवर्ष से भी 03 क्रियान्वित करने में/ अधिक का समय लगा जिससे कार्य की लागत में`130 . 75लाख की परिहार्य वृद्धि हो गयी थी।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा निर्माण इकाई के साथ किए गए समझौताज्ञापन के अनुसार - निर्माण कार्य दिनाँक 25.03.07 से प्रारम्भ होकर दिनाँक 2016.10.को पूर्ण किया जाना 2017 था। परन्तु, वर्तमान 2018 मार्च)) तक 80% कार्य ही पूर्ण किया गया था एवं इकाई को 240. 00 माह का विलम्ब था 05 लाख का भुगतान किया जा चुका था। चूँकि निर्माण कार्य पूर्ण होने में ज्ञाप-अतः समझौतान के बिन्दु सं॰ 14(ii) के अनुसार कार्य प्रगति के विलम्ब की स्थिति में इकाई को किए गए भुगतान से `3,00,000/-) 2,40,00,000x5x0.25%) के अर्थदण्ड की कटौती भी नहीं की गयी थी।

अतः परिहार्य व्यय`130 . 75लाख व अर्थदण्ड के अनारोपण `3 . 00लाख का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर0 -4:</u> सत्यापन किए बिना `32 . करोड़ का भुगतान किया जाना । 25

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा समयसमय पर जारी विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम - सेनानियों व उनकी विधवाओं एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों वर्ष व उससे अधिक आयु 65 तथा के वरिष्ठ नागरिकों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति इस कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को की जा रही थी जिसका विवरण निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	**<u>स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों हेतु व्यय राशि)` में(</u>**	**<u>वरिष्ठ नागरिकों हेतु व्यय राशि)` में(</u>**
2016-17	70,00,000	9,38,13,322
2017-18	53,90,119	21,63,00, 000 (10/ 2017तक(
योग	**1,23,90,119**	**31,01,13,322**

आगे जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त मदों में भुगतान परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत यात्राविवरण के आधार पर किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम द्वारा प्रस्तुत - बिलों का भुगतान बिना किसी सत्यापन के किए जा रहा था। इसके अतिरिक्त उक्त योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से दिये जाने हेतु कोई पहल नहीं की गयी थी एवं न ही ऐसे लाभार्थियों का data-base ही विभाग के पास उपलब्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि डीबीटी हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं एवं निगम द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर ही भुगतान किया जाता है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर:</u> 05 <u>-</u> कार्य विलम्ब की स्थिति में अर्थदण्ड का अनारोपण `3 .00 लाख ।

कार्यालय आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में निर्माण कार्यों से संबन्धित पत्रवालियों की नमूना जाँच मे पाया गया कि उपसंभागीय परिवहन - कार्यालय, टनकपुर 395 के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं॰ (अनावासीय भवन)/IX-I/III(2008)/2015 दिनाँक 26.05. द्वारा 2015`378 . 68लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य के निष्पादन हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लोहाघाट एवं परिवहन आयुक्त (निर्माण इकाई), उत्तराखण्ड के मध्य दिनाँक 05.05. 2016 को समझौता ज्ञापन संपादित किया गया था। समझौता ज्ञापन में उक्त कार्य को पूर्ण कर माह का समय दिया गया था 18 हस्तांतरित करने हेतु, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 04.11.14 थी। समझौता ज्ञाप के बिन्दु 2017(बके अनुसार निर्माण कार (्य पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0. (तीन माह तक विलम्ब की स्थिति में) माह/प्रतिशत 1 0 अथवा उसके बाद.प्रतिशत) चार्ज-माह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय सेंटेज/प्रतिशत 25 से किए जाने का प्रावधान था। (प्रभार

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि)04/2018 तक निर्माण इकाई द्वारा (75% ही कार्य पूर्ण किया गया था तथा विभाग द्वारा निर्माण इकाई को `240 . 00लाख का भुगतान किया जा चुका था।

जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य को पूर्ण होने में पाँच माह का विलम्ब हो चुका था। अतः निर्माण इकाई को किए गए भुगतान `24000000 x5x0.25%(=3,00,000/-) का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य विलम्ब की स्थिति में `15041 /माह भवन के किराए के रूप में अतिरिक्त व्यय हो रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निर्माण इकाई पर किसी प्रकार के अर्थदण्ड पर अंतिम भुगतान करते समय निर्णय लिया जाएगा। अतः ` 3.00 लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	STAN
52/2003-04	01	01	-
49/2015-16	शून्य	01	01,02,03,04
62/2016-17	शून्य	01,02,03,04	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी			

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
62/2016-17	01			
	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री सी.एस.नपलच्याल	परिवहन आयुक्त
2	श्री उमाकान्त पंवार	परिवहन आयुक्त
3	श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन	परिवहन आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **आयुक्त, परिवहन आयुक्त, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र